

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

### विरुद्ध

1. भगवान सिंह पुत्र अमर सिंह यादव उम्र 95 साल, ..... फौत
2. नत्थू सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 40 साल,
3. मिथला बाई पत्नी नत्थू सिंह यादव उम्र 39 साल,  
सभी निवासीगण ग्राम बरोदिया तहसील चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 26.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324/34, 323/34 के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24.12.2010 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम बरोदिया लोकस्थल में तुमने फरियादियां मीराबाई को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित कर फरियादियां मीराबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादियां मीराबाई को सख्त व मोथरी वस्तु एवं धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.10 को शाम 06:00 बजे नत्थू भगवान सिंह और नरेंद्र फरियादियां के रास्ते पत्थर रख रहे थे, जब फरियादियां ने पत्थर रखने से मना किया, तो तीनों ने फरियादियां को गाली गलौच करने लगे, उसने मना किया तो नत्थू भगवान सिंह नरेंद्र व मिथलाबाई ने उसकी डण्डों व लातघूंसों से मारपीट की, जिससे फरियादियां के दोनों हाथों की कलाई में चोट होकर खून निकल आया, दाहिने हाथ के अंगूठा में व सिर में मुंदी

चोटें आइ, घटना मौके पर कोई नहीं था, फिर बाद में संग्राम सिंह, हल्के व फूलाबाई आई थीं। फरियादियां ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-957/10 अंतर्गत धारा-323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई, फरियादियां का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादियां को धारदार वस्तु से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-19/11 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा- 324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.12.2012 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम बरोदिया लोकस्थल में आपने फरियादियां मीराबाई को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादियां मीराबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादियां मीराबाई को सख्त व मोथरी वस्तु एवं धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 05— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी मीराबाई (अ0सा0—1) व उसका पति हरदयाल (अ0सा0—7) सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में संग्राम सिंह (अ0सा0—2) व फूलाबाई (अ0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये एवं जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी नारायण सिंह (अ0सा0—3), सैनिक केदार शर्मा (अ0सा0—5), चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0—4) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक आर0 एस0 परिहार (अ0सा0—6) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 06— फरियादी मीराबाई (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के समर्थन में यह कहना है कि घटना दो साल पहले की होकर शाम के समय की हैं, उस समय आरोपीगण रास्तों में पत्थर से रास्ता बंद कर रहे थे और जब उसने रोका तो आरोपीगण उसे मारने लगे। इस साक्षी का अपने मुख्यपरीक्षण में भी यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्त नरेंद्र व नत्थू न उसे लाठियों से मारा था तथा मिथलाबाई व भगवान सिंह ने उसे लातों से मारा था, जिससे उसके हाथों की कलाई में और सिर में चोट आई थी।
- 07— फरियादी मीराबाई (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथन कथनों की पुष्टि घटना की लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 में उल्लेखित घटना से होती है, जिसे पढ़कर सुनाये जाने पर इस साक्षी ने उक्त रिपोर्ट पुलिस को लेख कराया जाना स्वीकार किया है। मीराबाई (अ0सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—7 में भी यही कहना है कि रिपोर्ट उसने लिखाई थीं, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—7 में यह साक्षी पुनः अपने कथनों से पलटते हुये अपने पति के साथ रिपोर्ट करने जाना बताती है तथा रिपोर्ट भी पति के द्वारा लेखबद्ध कराया जाना बताती है एवं स्वयं रिपोर्ट लेख कराने से इन्कार करती है।
- 08— मीराबाई (अ0सा0—1) के द्वारा घटना के बाद थाने पर स्वयं जाकर रिपोर्ट लेख कराई गई इस संबंध में इस साक्षीके कथनों में निश्चित रूप से विरोधाभास देखा जा सकता है, परन्तु उक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है। मीराबाई एक अनपढ़ ग्रामीण महिला है जिसके द्वारा अदम चैक प्रदर्श—पी—1 पर भी अंगूठा निशानी की गई है उक्त रिपोर्ट यदि मीराबाई के द्वारा लेखबद्ध न कराई जाकर उसके पति के द्वारा लेखबद्ध कराई होती तो निश्चित रूप से

प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट में फरियादी मीराबाई का पति होता। प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह के द्वारा लेखबद्ध की गई है, जिस पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर एस परिहार ने राजेंद्र सिंह के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई कार्यवाही लोक सेवक की हैसियत से की गई कार्यवाही है, मात्र एक अनपढ़ ग्रामीण महिला के यह कह देने से कि रिपोर्ट उसके पति के द्वारा लेखबद्ध कराई गई है। प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह के द्वारा लेखबद्ध की गई रिपोर्ट एवं उसके आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-8 की सत्यता को प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता है।

- 09- मीराबाई (अ0सा0-1) सहित संग्राम सिंह (अ0सा0-2) फूलाबाई (अ0सा0-4) व हरदयाल (अ0सा0-7) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिये गये हैं कि भगवान सिंह की रिपोर्ट पर फरियादी के पति सहित संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व अन्य लोगों पर अदालत में मारपीट का मुकदमा चल रहा है तथा साथ ही मकान के संबंध में दिवानी मुकादमा भी उन लोगों के मध्य चल रहा है, जिसके कारण यह झूठा प्रकरण फरियादी के द्वारा पंजीबद्ध कराया गया।
- 10- फरियादी के पति व संग्राम सिंह सहित अन्य लोगों पर भगवान सिंह की रिपोर्ट पर से उनके साथ की गई मारपीट का मुकादमा अदालत में चल रहा है इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव को मीराबाई (अ0सा0-1) सहित संग्राम सिंह (अ0सा0-2), फूलाबाई (अ0सा0-4), व हरदयाल (अ0सा0-7) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। बचावपक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव पर मीराबाई सहित संग्राम सिंह (अ0सा0-2), फूलाबाई (अ0सा0-4), व हरदयाल (अ0सा0-7) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है तथा मीराबाई (अ0सा0-1) ने भले ही इस बात की जानकारी होने से इन्कार किया है कि उनके विरुद्ध भगवान सिंह के द्वारा व्यवहार न्यायालय में मकान के संबंध में दावा प्रस्तुत किया है, परन्तु संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व हरदयाल (अ0सा0-7) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है तथा एस0डी0ओ0 न्यायालय में भी मकान के संबंध में मुकदमा चलने की पुष्टि की है।
- 11- अभियुक्तगण की ओर से अंतिम तर्क के दौरान नयाब तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 25/145/2004 बरोदिया में किये गये स्थल निरीक्षण की नक्शा व पंचनामें सहित रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि भी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान सिंह के द्वारा पत्थर का कोट बना

कर रास्ता बंद किया गया है, जिस पर हरदयाल (अ0सा0-7) की आपत्ति होकर दोनों के मध्य विवाद है। अतः अंतिम तर्क के दौरान प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि है एवं अभियोजन साक्षियों के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि अभियुक्तगण की रिपोर्ट पर से उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा व मकान के संबंध में दीवानी मुकदमा व्यवहार न्यायालय में व एस0डी0ओ0 न्यायालय में लंबित हैं, से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी व उसके पति एवं परिवार के लोगों व अभियुक्तगण के मध्य इस प्रकरण के पूर्व से ही मन-मुटाव होकर मकान व रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति हैं, जिससे दोनों पक्षों के मध्य एक दूसरे के प्रति रंजिश होना साबित होता है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मात्र पूर्व की रंजिश होना न तो इस बात का निश्चायक प्रमाण होती है कि उक्त रंजिश के चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठा फंसा सकता है। पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती है, जिसके दो पहलू हो सकते हैं, एक तो यह की उक्त रंजिश के चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठा फंसा सकता है, वही पूर्व की रंजिश के चलते वास्तव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई घटना भी कारित कर सकता है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वर्तमान प्रकरण में कौन सी स्थिति साबित होती है, यह अभिलेख पर साक्षियों के द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।

12- फरियादी मीराबाई (अ0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में पूरी तरह से अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं कि जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से भी होती है। फरियादी मीराबाई (अ0सा0-1) के कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी इस संबंध में अखण्डित है कि आरोपीगण शाम के समय पत्थर रखकर रास्ता बंद कर रहे थे जिसको करने से रोकने पर अभियुक्त नत्थू व नरेंद्र ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की थी वहीं भगवान सिंह व मिथलाबाई ने लातों से मारपीट की थीं, जिससे उसके सिर में हाथ के अंगूठे में व दोनों कलाईयों में चोटें आई थी।

13- संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4) को अभियोजन के द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इस साक्षियों ने भी अपने कथनों में यह बताने का असफल प्रयास किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा मीराबाई (अ0सा0-1) के साथ की गई मारपीट उनके सामने हुई थी। घटना प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों साक्षियों ने देखी थी इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति हैं। संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व

फूलाबाई (अ0सा0-4) की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में स्वयं मीराबाई (अ0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में स्वयं यह कहना है कि घटना स्थल पर संग्राम सिंह आरोपीगण के द्वारा की गई मारपीट के बाद आया था तथा संग्राम सिंह के आने पर चारों आरोपीगण वहां से भाग गये थे तथा हल्के व फूलाबाई मारपीट के आधे घण्टे के बाद आये थे।

14- मीराबाई (अ0सा0-1) के अनुसार संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4), घटना के बाद मौके पर आये थे, परन्तु फरियादी का यह कहना है कि मारपीट की घटना के बाद यह दोनों लोग मौके पर आये थे, जिससे स्पष्ट है कि इन दोनों साक्षियों ने फरियादी को घटना के बाद घायल अवस्था में तो देखा होगा परन्तु अभियुक्तगण के मारपीट करते हुये नहीं देखा। संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4) अपने कथनों में कई जगह घटना अपने सामने होना बताते हैं परन्तु इन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों से इस बात का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सका है कि ये दोनों साक्षी घटना के बाद मौके पर पहुचे थे।

15- संग्राम सिंह (अ0सा0-2), भगवान सिंह के द्वारा मीराबाई को लाठी से मारना बताता है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में नरेंद्र के द्वारा पत्थर से मारना बताता है। जबकि स्वयं मीराबाई (अ0सा0-1) का कहीं भी ऐसा कहना नहीं है कि भगवान सिंह के लाठी से व नरेंद्र ने उसके साथ पत्थर से मारपीट की थी। संग्राम सिंह (अ0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में एक ओर यह कहता है कि जब वह घटना स्थल पर पहुचा तो उसने 100 फीट की दूरी पर आरोपीगण को देखा था तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-7 में इस साक्षी का यह कहना है कि मीराबाई ने उसे यह बताया था कि चारों आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की है। इसी प्रकार फूलबाई (अ0सा0-4) अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा मीराबाई के साथ लातघूसों व लाठियों से मारपीट करने के संबंध में कथन देती हैं तथा प्रतिपरीक्षण में भी घटना अपने सामने होना बताती है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में इसी साक्षी का यह भी कहना है कि जब वह घटना स्थल पर पहुची थी तो उसे मीराबाई बेहोश मिली थी, और कोई घटना स्थल पर नहीं था।

16- अतः संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में अपने आप को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताते हुये अभियुक्तगण के द्वारा उनके सामने मीराबाई की मारपीट किये जाने के संबंध में

दिये गये कथन विरोधाभासी होने से एवं स्वयं फरियादी के द्वारा इन साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थिति घटना के बाद बताने के कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, परन्तु किंचित भी यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि इन साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य व उनके घटना स्थल पर घटना के बाद में पहुंचने के संबंध में दिये गये कथन अविश्वसनीय हो जाते हैं। विधि के द्वारा यह सुस्थापित है कि साक्षी के इतनी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है कि जितनी की वह अभियोजन घटना का समर्थन करती हो।

- 17- संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4) ने अपने कथनों में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना शाम 06:00 बजे होकर ठण्ड के समय की है तथा घटना आरोपीगण के द्वारा पत्थर से रास्ता बंद करने के कारण मीराबाई के मना करने पर हुई थी। संग्राम सिंह (अ0सा0-2) ने स्पष्ट रूप से घटना स्थल पर घटना के बाद अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करते हुये प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में यह कथन दिये है कि घटना के समय वह रोड पर 100 फीट की दूरी पर दुकान पर खड़ा था और जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने मीराबाई के सिर में मुंदी चोट व दोनों कलाईयों में खून निकलते हुये देखा था। हरदयाल सिंह (अ0सा0-7) जिसने ने घटना के बाद मीराबाई (अ0सा0-1) को घायल अवस्था में देखा था, ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि मीराबाई के सिर में व हाथ में घटना में चोटें आई थी
- 18- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर अजय (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये जिनके द्वारा घटना के तुरन्त बाद 08:30 बजे फरियादी मीराबाई (अ0सा0-1) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। डॉक्टर अजय (अ0सा0-5) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के सिर में नीलगू निशान की चोट सहित दोनों हाथों में कटे हुये घाव की चोट सहित दाहिने अंगूठे में उपरी हिस्से में पीछे की तरफ खरोंच के निशान भी चोट पाई गई। डॉक्टर अजय (अ0सा0-5) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-4 से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
- 19- अतः फरियादी मीराबाई (अ0सा0-1) को घटना दिनांक को घटना के बाद दोनों हाथों में व सिर में चोटें थीं। इस संबंध में मीराबाई (अ0सा0-1), संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व हरदयाल (अ0सा0-7) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों की

पुष्टि डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0-5) की चिकित्सीय साक्ष्य से होती है कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि मीराबाई (अ0सा0-1) सहित संग्राम सिंह (अ0सा0-2), फूलाबाई (अ0सा0-3) व हरदयाल (अ0सा0-7) जिस समय की घटना बता रहे हैं उस समय फरियादी के शरीर पर उपरोक्त चोटें पाई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से डॉक्टर अजय (अ0सा0-5) के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि फरियादी के शरीर पर पाई गई चोटें स्वः कारित व गिरने से आना संभव हो सकती है कि जिस पर डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा सहमति दी गई, परन्तु अजय सिंह के द्वारा दी गई उपरोक्त सहमति अभिमत मात्र है, जो कि प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये उक्त सुझाव का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है। खरोंच की चोट निश्चित रूप से स्वकारित हो भी सकती है परन्तु दोनों हाथों में कटे घाव की चोट का आकार व प्रकार एवं सिर पर नीलगू निशान की चोट का होना उपरोक्त तीनों चोटों के एक साथ स्वःकारित किये जाने पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

20- घटना के संबंध में मीराबाई (अ0सा0-1) की साक्ष्य अकाट्य अखण्डित है तथा इस साक्षी के संपूर्ण परीक्षण में मामूली विरोधाभास को छोड़कर कोई भी तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। घटना ठण्ड के समय शाम 06:00 बजे के लगभग रास्ते के विवाद पर से हुई थीं तथा घटना के बाद मीराबाई (अ0सा0-1) को घायल अवस्था में संग्राम सिंह (अ0सा0-2) फूलाबाई (अ0सा0-4) ने देखा था। इस संबंध में संग्राम सिंह (अ0सा0-2) व फूलाबाई (अ0सा0-4) की साक्ष्य विश्वसनीय है। घटना के समय फरियादी के सिर पर व हाथों पर चोट होने की पुष्टि डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0-5) ने भी अपने कथनों में व रिपोर्ट प्रदर्श-पी-5 में की है।

21- अभियुक्तगण के पास घटना घटित करने का पर्याप्त कारण था। रास्ता बंद करने पर से पूर्व का विवाद दोनों पक्षों के मध्य होना स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप दिये गये सुझाव एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित हैं। घटना के संबंध में फूलाबाई (अ0सा0-1) की अखण्डित साक्ष्य पर विश्वास करने का कोई ठोस आधार अभिलेख पर नहीं है। रास्तों के विवाद पर से घटना स्थल पर अभियुक्तगण की एक साथ उपस्थिति एवं फरियादी के साथ एक साथ की गई मारपीट घटना घटित करने का निश्चित रूप से सामान्य आशय प्रमाणित करती है। जिससे अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।



- 22— जहां तक मारपीट में धारदार वस्तु के उपयोग करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई धारदार हथियार जप्त नहीं किया गया है, वहीं प्रदर्श-पी-3 के जप्ती पंचनामों के अनुसार केदार शर्मा (अ0सा0-6) व नारायण सिंह (अ0सा0-3) के समक्ष जप्त की गई लाठी बांस की लाठी है, जिस पर कील गली थीं, ऐसा कहीं भी उल्लेख जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-6 में नहीं है तथा स्वयं उपनिरीक्षक आर एस परिहार (अ0सा0-6) का भी यह कहना है कि जप्त की गई लाठी में कील लगी हो, तो उसे ध्यान नहीं है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना में मीराबाई (अ0सा0-1) को उपहति कारित करने के लिये किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया, परन्तु मीराबाई (अ0सा0-1) के साथ अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उपहति कारित की थीं, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है। घटना में अभियुक्तगण ने लोक स्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये तथा उन शब्दों के उच्चारण से फरियादी को क्षोभ कारित हुआ इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 23— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 24.12.2012 को समय शाम 06:00 बजे ग्राम बरोदिया लोकस्थल में आपने फरियादियां मीराबाई को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया था तथा फरियादिया को उपहति कारित करने में धारदार हथियार का उपयोग किया था, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य से संदेह से परे यह साबित होता है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादियां मीराबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादियां मीराबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 24— फलतः अभियुक्तगण नत्थू सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, मिथला बाई पत्नी नत्थू सिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 324/34 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं अतः अभियुक्तगण को भा0दं0वि0 की धारा 294, 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण नत्थू सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, मिथला बाई पत्नी नत्थू सिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

25- अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

26- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुये हैं। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण में निश्चित रूप से अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि विगत कई वर्षों से अभियुक्तगण का फरियादी पक्ष के साथ रास्ते को लेकर विवाद हैं और उक्त विवाद के चलते फरियादी जो कि एक महिला है उसके साथ अभियुक्तगण ने एक राय होकर मारपीट कर उपहति कारित की है, जिसके अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। अतः अभियुक्तगण के द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये निश्चित रूप से उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा, परन्तु उन्हें एक शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक हैं।

27- अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त नत्थू सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, मिथला बाई पत्नी नत्थू सिंह को उपहति के संबंध में भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह (एक माह) के साधारण कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस ( सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

28—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)